वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा के प्रबंध मंडल की 94वीं बैठक दिनांक 30 दिसंबर 2016 को विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र (कॉमर्स कालेज कैंपस, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर) में मध्यान्ह पूर्व 11.30 बजे आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	प्रो. अशोक शर्मा, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्री देवेश सूद प्रतिनिधि(अतिरिक्त मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा विभाग) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर	सदस्य
3.	श्री मूलचंद अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,जयपुर। (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग)	सदस्य
4.	प्रो0 दामोदर शर्मा जोधपुर	सदस्य
5.	डॉ. मोहन लाल साहू कोटा	सदस्य
6.	प्रो0 प्रदीप साहनी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि0वि0 नई दिल्ली	सदस्य
7.	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
8.	डॉ0 जितेन्द्र कुमार शर्मा , निदेशक, क्षे.के,वमखुविवि, अजमेर	सदस्य
9.	श्री फूलसिंह मीना नियंत्रक, वित्त (विशेष आमंत्रित) एवं कुलसचिव वमखुविवि (सचिव, प्र.मं.)	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रबंध मंडल के निवर्तमान सदस्य प्रो0 दिनेश गुप्ता द्वारा सदस्य के रूप में दी गई सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए सदन को विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या में उत्तरोत्तर वृद्वि के बारे में अवगत करवाया गया, सदन द्वारा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्वि पर हर्ष व्यक्त किया गया, तत्पश्चात आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चितता के उपरांत बैठक विधिवत रूप से प्रारंभ की गई एवं बिन्दुवार निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

94/01 प्रबंध मंडल की 93वीं बैठक दिनांक 30 जनवरी 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल द्वारा कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न 93वीं बैठक दिनांक 30 जनवरी 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

94/02 प्रबंध मंडल की 93वीं बैठक दिनांक 30 जनवरी 2016 के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

प्रबंध मंडल की 93वीं बैठक के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही का बिंदुवार अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए प्रबंध मंडल की 93वीं बैठक के निर्णय संख्या 93/01 में वर्णित समिति में प्रो0 दिनेश गुप्ता के स्थान पर प्रो. एल.आर. गुर्जर को सदस्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया तत्पश्चात् कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

94/03 विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 24 जून 2016 एवं 55वीं बैठक दिनांक 24 दिसंबर 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 54वीं एवं 55वीं बैठक दिनांक 24 दिसंबर 2016 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर द्वारा सदन को विस्तृत रूप से अवगत करवाए जाने के उपरांत प्रो0 दामोदर शर्मा ने योग कार्यक्रम से सम्बन्धित जानकारी चाही, इस सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया गया कि योग कार्यक्रमों हेतु आवश्यक संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। 30 घंटे के आवश्यक प्रायोगिक शिविर में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं किया गया है, एंव दस दिन के प्रायोगिक शिविर (प्रति दिन तीन घंटे) के स्थान पर पांच दिवस (प्रति दिन 06 घंटे) निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही चलाए जा रहे है।

उक्त जानकारी के उपरांत सदन द्वारा विद्या परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 24 जून 2016 एवं 55वीं बैठक दिनांक 24 दिसंबर 2016 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

94/04 आयोजना मंडल की 15वीं बैठक दिनांक 30 जून 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आयोजना मंडल के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया कि माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में सेंटर फार इंटर्नशिप एवं स्माल बिजनेस मैनजमेंट केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही ई0 गर्वेनेंस सिस्टम लागू करने की कार्यवाही के अंतर्गत प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया, परीक्षा आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम,समस्त प्रकार के शुल्क आदि कार्य आनलाइन ही किये जा रहे है।

तदुपरांत आयोजना मंडल की 15वीं बैठक दिनांक 30 जून 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

94/05 वित्त समिति की 55वीं बैठक दिनांक 26 दिसंबर 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

वित्त समिति के कार्यवाही विवरण पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधी द्वारा व्यय सम्बन्धी नियमों की जानकारी चाही गई। इस सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया गया कि समस्त प्रकार के कार्य राज्य सरकार के सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत ही किए जा रहे है ।

उक्त जानकारी के पश्चात् सदन द्वारा वित्त समिति के कार्यवाही विवरण, वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

94/06 विश्वविद्यालय के निदेशकगणों में से एक निदेशक को प्रबंध मंडल का सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 में प्रबंध मंडल गठन के सम्बन्ध में वर्णित स्टेच्युट्स 7(सी) में "One Director not being the director of a Regional Centre प्रावधान के अंतर्गत मनोनयन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

94/07 भवन निर्माण उप समिति की 16 वीं बैठक दिनांक 06 सितंबर 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

भवन निर्माण उप समिति की 16 वीं बैठक दिनांक 06 सितंबर 2016 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में विज्ञान संकाय के कार्यक्रमों हेतु भवन का निमार्ण कार्य विश्वविद्यालय के स्वंय के स्रोतों से किया जाना प्रस्तावित है, उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा भवन निर्माण उप समिति की 16 वीं बैठक दिनांक 06 सितंबर 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

94/08 वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि के विशेष जांच प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण करवाने हेतु कार्येत्तर स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरांत निर्णय का प्रस्ताव।

वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि के विशेष जांच प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण करवाने हेतु कार्येत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव वित्तिय प्रकृति का होने के कारण प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तदुपरांत इस प्रस्ताव को निर्णय हेतु प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

94/09 बी.एफ.सी. (आयोजना भिन्न) के निर्णय की पालना में पद समाप्ति के आदेश पुष्टि हेतु एवं समाप्त किए गए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद के सम्बन्ध में पुर्नविचार।

बी.एफ.सी. (आयोजना भिन्न) वित्तिय वर्ष 2016–17 की पालना में आयोजना भिन्न के निम्नलिखित पदों को समाप्त घोषित करने के सम्बन्ध में जारी आदेश की पुष्टि की गई:–

1. सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय 03 पद (एक पद सीधी भर्ती एवं 02 पद प्रतिनियुक्ति)

2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी 01 पद
3. कनिष्ठ लिपिक 02 पद
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 02 पद

94/10 अवन्ती बाई लोधी के नाम से पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव पुष्टि हेतु।

सदन द्वारा अवन्ती बाई लोधी के नाम से पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव पुष्टि की गई ।

94/11 उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव पुष्टि हेतु।

उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को विस्तृत जानकारी से अवगत करवाए जाने के बाद उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर, प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सदन ने निर्णय लिया कि उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र के द्वारा कौन–कौन से क्षेत्रों में कार्य किया जाना है, इसके निर्धारण हेतु एक समिति गठित की जाए, साथ ही विश्वविद्यालय में पूर्वस्थापित व्यवसायिक शिक्षा, निदेशालय और स्किल डवलपमेंट एवं प्लेसमेंट केन्द्र के समायोजन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का परीक्षण कर इस समिति को अपनी अनुशंषाऐं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। समिति का गठन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

94/12 विश्वविद्यालय में डिजिटाइलेशन एवं आनलाईन कार्य की आवश्यकतानुसार स्टाफ की व्यवस्था के लिए पद स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने से पूर्व अनुमोदन का प्रस्ताव।

डिजिटाइलेशन एवं आनलाईन कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नवीन पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव, राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने हेतु सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

94/13 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,कोटा में दर्ज परिवाद संख्या 140/10 के संदर्भ प्राप्त जांच रिपोर्ट के निर्णय का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अवलोकन कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज परिवाद संख्या 140/10 में प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रो0 एच0 डी0 चारण द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह नियम 16 सी.सी.ए. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। इसलिए नियम 16 सी.सी.ए. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पुनः जांच करवायी जाए।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव, प्रबंध मंडल